कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर

709

क्रमांक 709 /एसटीए/2012 ग्वालियर : दिनांक 7-1-13

प्रति,

क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय /
जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)
....................(म0प्र0)
समस्त

विषय :— ग्रामीण परिवहन सेवा के संबंध में

विषयान्तर्गत आपके व्दारा चिहिन्त एवं प्रेषित ग्रामीण मार्गों का सूत्रीकरण कर दिया गया है । मार्ग के सूत्रीकरण की जानकारी आपको प्रेषित की गई है तथा जिलेवार ग्रामीण मार्गों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है ।

इस पत्र के संलग्न आम सूचना का प्रारूप प्रेषित कर जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में Display/Advt.(इश्तहार) प्रकाशित कराई जाकर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

:: सूचना आम ::

जिला .... क्षेत्रान्तर्गत .... चिन्हित ग्रामीण मार्गो पर यात्री परिवहन सेवा संचालित की जाना है । ऐसे इच्छुक आवेदक / वाहन स्वामी जिनके वाहन की बैठक क्षमता 6+1 से अधिक तथा 21+2 है परमिट प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने वाहन के लिये अस्थाई अनुज्ञा आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

1. अस्थाई अनुज्ञापत्र आवेदन आर0टी0ओ0 कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

2. आवेदन के साथ आवेदक को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जो निम्नानुसार हैं :-

दस्तावेज सूची :-

अ. वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति

ब. वाहन के बीमा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति

स. फिटनेस प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति

द. ऑन लाईन कर प्रमाण पत्र

फ. स्टेज वाईज दूरी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से जारी

ज. आवेदन शुल्क रूपये 750/- की रसीद

3. आवेदक व्दारा संबंधित कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त टाइम टेबल का प्रकाशन कर आवेदन का नियमानुसार निराकरण किया जावेगा ।

4. परमिट स्वीकृति उपरान्त वाहन की बैठक क्षमता के आधार पर रूपये 60 प्रतिसीट प्रति तिमाही के मान से मोटरयान कर भुगतान । न्यूनतम एक माह एवं अधिकतम 4 माह का परमिट प्राप्त कर सकते हैं । अवधि समाप्ति के पूर्व आगामी अवधि की अनुज्ञा नियमानुसार पुनः जारी की जायेगी ।

5. **ग्रामीण परिवहन यान के मापदण्ड :-**

अ. बैठक क्षमता 6+1 से अधिक व 21+2 तक होना आवश्यक है ।

ब. वाहन की विन्ड स्क्रीन पर एवं यान की बॉडी के दोनों ओर सफेद रंग से चिन्हित की गई बॉडी पर नीले रंग से ग्रामीण परिवहन सेवा लिखा जावेगा । पट्टे की चौडाई 16 से0मी0 (6 इंच) उंचाई में अक्षरों का आकार 10 से0मी0(4 इंच) न्यूनतम होगा जिसे 25 मीटर की दूरी से देखा जा सके ।

स. वाहन में अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी होना चाहिए ।

द. वाहन की विन्ड स्क्रीन तथा पीछे के कॉच की स्क्रीन केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 100 के अनुसार होना चाहिए तथा उन पर किसी प्रकार की कोई काली फिल्म नहीं लगी होनी चाहिए ।

इ. वाहन में चालक, परिचालक वर्दी में रहेंगे तथा वेज धारण करेंगे ।

6. वाहन स्वामी को मोटरयान अधिनियम, केन्द्रीय मोटरयान नियम, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम तथा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा । (उनमें जो भी संशोधन होंगे, वह परमिटधारी पर लागू होंगे)

7. ग्रामीण मार्गों की जानकारी संबंधित कार्यालय के अलावा परिवहन विभाग की वेबसाइट www.mptransport.org पर उपलब्ध हैं ।

जिला .... ग्रामीण मार्गों की सूची

स0क्र0	मार्ग का नाम		मार्ग की दूरी

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

....

3

कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक 708 /एसटीए/2012 ग्वालियर : दिनांक 7-1-13

प्रति,

आयुक्त
जनसंपर्क कार्यालय
भोपाल (म0प्र0)

विषय :– ग्रामीण परिवहन सेवा के संबंध में

विषयान्तर्गत क्रम में अनुरोध है कि ग्रामीण मार्गों पर यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें मार्गों का विधि अनुसार सूत्रीकरण किया गया तथा जिलेवार सूची परिवहन कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है तथा सूची को परिवहन विभाग की वैबसाइट www.mptransport.org पर लोड कर दी गई है ।

प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों / जिला परिवहन अधिकारियों को ग्रामीण अंचलों के चिन्हित मार्गों पर यात्री वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं । जिलेवार यह सूचना बतौर Display/Notice Advt. जिले के जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से प्रकाशित करवाने हेतु निर्देश प्रसारित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 /एसटीए/2012 ग्वालियर : दिनांक

प्रतिलिपि :–

क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी (समस्त) .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश